केवल सरकारी प्रयोग हेतु

वार्षिक

सामान्य प्रशासन

रिपोर्ट

2008-2009

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला – 171002

विषय सूची

क्र.स.	विषय	पृष्ठ
1.	परिचय	1
2.	प्रशासन प्रभाग	2
3.	योजना प्रारूपण प्रभाग	3–4
4.	योजना कार्यान्वयन प्रभाग	5–6
5.	पिछडा क्षेत्र उप–योजना	7–8
6.	क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	9–10
7.	जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग	10–11
8.	परियोजना रूपांकन प्रभाग	11–13
9.	नाबार्ड	14–16
10.	बीस–सूत्रीय कार्यक्रम	17
11.	रेलवे	17–18
12.	मूल्यांकन प्रभाग	18
13.	कम्पयूटर प्रभाग	19
14.	सूचना का अधिकार – 2005	20–26

****

परिचयः

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं का निर्धारित करना, योजनाओं के सकल परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों/सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है । दूसरी गतिविधियों में परियोजनाओं का मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन की मानिटरिंग तथा विभिन्न कार्य योजनाओं/परियोजनाओं के अध्ययन इत्यादि सम्मिलित है ।

1. संगठनात्मक ढांचाः

योजना विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न स्तरों पर आधारित हैः-

1. मुख्यालय ।
2. जिला कार्यालय ।
3. राज्य योजना बोर्ड ।

1. मुख्यालयः-

मुख्यालय पर सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग नामतः योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्रा उप-योजना कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक, कार्यालयाध्यक्ष तथा उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । सरकारी नियमावली के अनुसार विभाग के सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ढांचा कार्य कर रहा है :-

1. माननीय मुख्य मंत्री ।
   (योजना मंत्री)
2. प्रधान सचिव, (योजना) ।
3. सलाहकार (योजना) ।

2. जिला कार्यालय :-

विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 गैर-जनजातीय जिलों में (दो जन-जातीय जिलों लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर) क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं । ये कार्यालय सम्बन्धित उपायुक्त के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं तथा इन कार्यालयों में एक जिला योजना अधिकारी, एक साख योजना अधिकारी, एक सहायक अनुसंधान अधिकारी, एक सांख्यिकीय सहायक, एक सहायक (शिमला, कांगडा तथा मण्डी के मामले में दो), एक आशुटंकक, एक लिपिक तथा एक चपड़ासी का स्टाफ प्रदान किया गया है ।

I. प्रशासन प्रभागः

योजना विभाग के मुख्यालय पर प्रशासन प्रभाग का कार्य विभागाध्यक्ष के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक की देख-रेख में किया जा रहा है । इस प्रभाग में निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	1
2.	अधीक्षक	1
3.	वरिष्ठ सहायक	4
4.	कनिष्ठ सहायक	2
5.	लिपिक	2
6.	सन्देशवाहक	1
7.	चौकीदार	1
	कुल :-	**12**

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तथा स्थापना एवं वित्त लेखा से सम्बन्धित रोजमर्रा के routine कार्य करता है । योजना विभाग के स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	उपाध्यक्ष	1	-	1
2	सलाहकार (योजना)	1	1	-
3	संयुक्त निदेशक	1	1	-
4	उपनिदेशक	5	5	-
5	अनुसंधान अधिकारी	20	17	3
6	प्रोगाम योजना अधिकारी	1	1	-
7	साख योजना अधिकारी	10	10	-
8	अधीक्षक	1	1	-
9	वरिष्ठ सहायक	20	20	-
10	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	16	14	2
11	निजि सहायक	2	1	1
12	निजि सचिव	1	-	1
13	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	14	3

1.	2.	3.	4.	5.
14	सांख्यिकीय सहायक	20	17	3
15	गणक	6	6	-
16	कम्पयूटर औपरेटर	2	2	-
17	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	-
18	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	-
19	आशुटंकक	12	4	8
20	वाहन चालक	3	3	-
21	सन्देशवाहक	20	20	-
22	चौकीदार	1	1	-
23	डी. एम. ओ.	1	1	-
24	जमादार	1	-	1
25	सफाई कर्मचारी	1	1	-
26	फ्राश	1	1	-
	कुल	**171**	**148**	**23**

रिपोर्ट के वर्ष में प्रशासनिक प्रभाग द्वारा समस्त कार्य निर्धारित समय पर सम्पन्न किए गए ।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग :

योजना प्रारूपण प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

1. राज्य की वर्ष 2009-2010 का ड्रॉफट योजना प्रारूप तैयार करना :

वार्षिक योजना 2009-2010 का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करने हेतु सम्बन्धित सभी विभागों /एजैन्सियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें प्रधान सचिव योजना एवं सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों के बिच हुई बैठक में निर्धारित किए गए अन्तिम योजना आकार के अनुरूप अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की पड़ताल करने तथा आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना 2009-10 का ड्रॉफट प्रारूप तैयार करके कार्यसाधक समूह एवं योजना आयोग को माननीय उपाध्यक्ष , योजना आयोग एवं माननीय मुख्यमन्त्री महोदय के स्तर पर होने वाली बैठक के लिए प्रस्तुत किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना (2009-10) का आकार 2700.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया था जिसकी स्वीकृती योजना आयोग द्वारा ज्यों कि त्यो की गई है । क्षेत्र अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक योजना (2009-2010) परिव्यय
1.	**2.**	**3.**
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	29920.00
2.	ग्रामीण विकास	14302.00
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1297.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	27074.00
5.	ऊर्जा	35486.00
6.	उद्योग एवं खनन	2136.00
7.	संचार एवं परिवहन	54781.00
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1600.00
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	9550.00
10.	सामाजिक सेवाएं	87197.00
11.	सामान्य सेवाएं	6657.00
	कुल	**270000.00**

तत्पश्चात मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-लघु शीर्षवार परिव्यय तैयार करके वर्ष (2009-10) के योजना परिव्ययों को वित्त विभाग को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया ।

2. राज्य के प्राथमिकता वाले मुदे :

योजना विभाग को अत्याधिक महत्ता एवं प्राथमिकता वाले विभिन्न मन्त्रालयों एवं अन्य क्षेत्रों में लम्बित पड़े विकासात्मक मुददों को निपटाने हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है । इस दौरान रेलवे, पर्यटन, शिक्षा, उघोग एवं जल वितरण इत्यादि से सम्बन्धित मामले भी प्रधानमन्त्री कार्यालय के साथ उठाए गए । भारत सरकार से उठाए गए जिन मामलों का तर्कसंगत परिणाम रहा है का विवरण निम्न है :-

1. नंगल से ऊना तक जन -शताब्दी रेलगाडी का आरम्भ ।
2. राष्ट्रीय फैशन प्रोधौगिकी संस्थान एवं सूचना प्रोधौगिकी संस्थान की स्थापना ।
3. कालका -शिमला रेलवे लाईन का विश्व धरोहर घोषित होना ।
4. नगरोटा-रानीताल -देहरा मुबारिकपुर एवं पांवटा राजबन- शिलाई - मिनस हाटकोटी सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करना ।
5. एशियन विकास बैंक से सावड़ा कुडडू पन बिजली परियोजना 111 मैगावाट, काशांग पन बिजली परियोजना 195 मैगावाट, सैंज पन बिजली परियोजना 100 मैगावाट तथा शौंगठोंग - कड़च्छम पन बिजली परियोजना 402 मैगावाट के लिए आर्थिक सहायता हेतु स्वीकृति प्राप्त होना ।

3. सार्वजनिक -निजी भागेदारी से चलने वाली परियोजनाएं :

योजना विभाग को सार्वजनिक -निजी भागेदारी से चलने वाली परियोजनाओ के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त योजना प्रस्तावों को Viability Gap Funding के लिए भारत सरकार से सहयता प्राप्त करने के लिए भेजा जाता रहा है।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग :–

योजना कार्यान्वयन प्रभाग को निम्न कार्य सौंपे गए हैं –

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त योजना बजट की कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्न प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई :–

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की आवश्यकता, योजना में प्राथमिकता को समक्ष रखते हुए विचलन या पुनर्विनियोजन करता है ।

2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिस में व्यय की सम्भावनाएं कम हों या कोई परियोजना जिसे चालू वर्ष में चलने की सम्भावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुऐ उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है ।

3. आधिक्य के प्रस्तावों के सन्दर्भ में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं तथा तत्काल ऐसे प्रकरण निपटाए गए ।

4. विभागों से चिन्हांकित/गैर चिन्हांकित विकास शीर्षों में फेरबदल के प्रस्ताव मंगवाए गए और संशोधित योजना परिव्यय की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त की गई । इस वित्तीय वर्ष में योजना आयोग, भारत सरकार को राज्य की वार्षिक योजना 2008–09 के स्वीकृत योजना परिव्यय आकार 2400.00 करोड़ रुपये की तुलना में 2534.69 करोड़ रु0 के संशोधित योजना आकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया ।

5. इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से 193 सन्दर्भ परामर्श हेतू प्राप्त हुए जिसके परीक्षणोपरान्त उचित अभिमत विभागों को प्रदान किए गए ।

6. बजट के अनुरुप योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण योजना को बजट के साथ कम्प्यूटर सॉफटवेयर के माध्यम से जोडा गया।

1. त्रैमासिक आधार पर योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षाः

इस प्रभाग को वार्षिक योजना के विभिन्न विकास शीर्षो के अन्तर्गत योजना व अन्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया है । वर्ष 2007–08 में योजना धनराशि के व्यय के लिए निम्न मापदण्डों को निर्धारित किया गया :–

क्रम संख्या	तिमाही	व्यय प्रतिशतताः
1	प्रथम तिमाही	25
2	द्वितीय तिमाही	30
3	तृतीय तिमाही	25
4	चतुर्थ तिमाही	20
	कुल :	**100**

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय द्वारा राज्य की वार्षिक योजना (2008-09) की रोकी गई केन्द्रीय सहायता धनराशि की निर्मुक्ति शीघ्र करवाने के लिए संशोधित योजना परिव्यय वित्त पोषण स्कीम सहित, 31 दिसम्बर, 2008 तक योजना व्यय और वार्षिक योजना 2007-08 के अन्तिम पुष्ट व्यय आंकड़े वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे गए ।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन :

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार वर्ष 1999-2000 से नई बजट आबंटन प्रणाली को आरम्भ किया गया है । वर्ष 2008-09 में इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को तिमाहीवार प्राधिकृत योजना बजट भेजा गया तथा इसके आधार पर व्यय सूचना एकत्रित की गई ।

2. बजट आश्वासन :

बजट भाषण के अनुरुप बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2008-09 के बजट आश्वासनों की सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की गई तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त विभागों को बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए ।

4. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

राज्य की अर्थव्यवस्था तथा राज्य के संसाधनों को बढ़ाने में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का महत्वपूर्ण स्थान है । वर्तमान में शत-प्रतिशत एवं कुछ केन्द्रीय एवं राज्य भाग पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य किए गए :-

1. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत विभिन्न कार्यकारी विभागों को इन स्कीमों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय पोषण हेतु परामर्श दिए गए ।
2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय कार्य जारी रखा गया ।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना :–

चौथी पंचवर्षीय योजना से ही हिमाचल प्रदेश सरकार क्षेत्र विशेष के विकास के लिए उपयुक्त एवं कारगर वैकल्पिक नीति तैयार करने पर विचार कर रही थी । तत्कालीन स्थिति का ध्यान पूर्वक विशलेषण करने तथा अन्य विकेन्द्रीकरण प्रयासों के प्राप्त अनुभवों के आधार पर, प्रदेश सरकार द्वारा विकास में विद्यमान सूक्ष्म एवं क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए , पिछड़ा क्षेत्र उप योजना की परिकल्पना को विकसित किया गया । प्रदेश सरकार द्वारा 1995–96 के दौरान माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है । नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं :–

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछडा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :–

(i) **पिछडे घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछडी घोषित हों, को पिछडे विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । वर्तमान में प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछडे घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछडी पंचायतें आती हैं ।

(ii) **कंटीगुअस पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछडी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछडी पंचायतों के समूह घोषित किए गए । प्रदेश में कुल 15 पिछडी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछडी पंचायतें आती हैं ।

(iii) **बिखरी पंचायतें** : जिन पिछडी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछडी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछडी पंचायतों का समह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित की गई । प्रदेश में कुल 114 बिखरी हुई पिछडी पंचायतें हैं ।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षो के कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत भाग पिछडा क्षेत्र उप योजना के लिए चिन्हांकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(घ) जिलों को पिछडा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत बजट आबंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछडी पंचायतों के अनुपात मे किया जाता है ।

(ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से

किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

प्रदेश में कुल 551 पंचायतें पिछडी घोषित की जा चुकी हैं । उप योजना के अलग बजट प्रबन्धन के लिए नई मांग संख्या–15 योजना एवं पिछडा क्षेत्र उप योजना सरकार द्वारा सृजित की गई है । वर्ष 2008–09 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत रू0 5129.25 लाख का बजट प्राबधान योजना में तथा रू0 3592.23 लाख गैर-योजना में रखा गया है । पिछड़ा क्षेत्र उप योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है । उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाता है । वर्ष 2009–10 के दौरान भी पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत रूपये 5700.00 लाख का बजट प्राबधान योजना में तथा रू0 3734.32 लाख गैर-योजना में प्रस्तावित है ।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2008–09 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(रू0लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछडा क्षेत्र उप योजना 2008–09 परिव्यय		
			योजना	गैर.योजना	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	बिलासपुर	15	139.63	97.79	237.42
2	चम्बा	159	1480.13	1036.60	2516.73
3	हमीरपुर	13	121.02	84.75	205.77
4	काँगड़ा	17	158.25	110.83	269.08
5	कुल्लू	79	735.41	515.04	1250.45
6	मण्डी	149	1387.04	971.40	2358.44
7	शिमला	83	772.65	541.11	1313.76
8	सिरमौर	26	242.03	169.51	411.54
9	सोलन	7	65.16	45.64	110.8
10	ऊना	3	27.93	19.56	47.49
	योग	**551**	**5129.25**	**3592.23**	**8721.48**

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभागः-

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीयकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए क्रिया– कलापों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में अधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991–92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक / डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.00 लाख रूपए कार्य लागत तक की कार्य योजनाओं को उपायुक्तों द्वारा, 20.00 लाख रूपए तक की कार्य योजनाओं को योजना निदेशालय, 40.00 लाख रूपए से अधिक की योजनाओं को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत करने की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2009–09 के दौरान 1स्कीम के लिए सरकारी अंशदान धनराशि 36.53 लाख रूपए (1. 4.2008 से 31.3.2009 तक) की स्वीकृति मुख्यालय से प्रदान की गई तथा इसके अलावा 1.4.2008 से 31.3.2009 तक 1322.73 लाख रूपए की धनराशि उपायुक्तों को उनके स्तर पर कार्य स्वीकृतियां (किन्नौर और लाहौल–स्पिति जिलों को छोड़कर) जारी करने के लिए भी प्रदान की गई।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993–94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वर्ष 2008–09 के 3499.90 लाख रूपए प्रावधित बजट के विरूद्ध 3649.90 लाख रूपए की धनराशि (1.4.2008 से 31.3.2009) तक समस्त उपायुक्तों (किन्नौर और लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर) को उनके स्तर पर स्वीकृतियों जारी करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि विकास में जन सहयोग कार्यक्रम से पुर्नविनियोजित करके उपलब्ध करवाई गई है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाः

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ किया गया था लेकिन वर्ष 2001–02 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2003–04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया है

तथा 24.00 लाख रू0 की धनराशि प्रत्येक विधायक को उनके अपने–अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंटित की गई थी। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का राजनैतिक सम्बद्धता का विचार किए बिना सन्तुलित विकास हुआ है तथा सभी विधायक एक समान व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत 1956.12 लाख रू0 की धनराशि गैर जन जातीय जिलों को विभागीय कार्यो के कार्यन्वयन हेतु मु0 30.00 लाख रू0 प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध करवाई गई है। इस 30.00 लाख रू0 की धनराशि में से 5.00 लाख रू0 की धनराशि माननीय विधायकों की अनुशंसानुसार मुख्य मन्त्री ग्राम पथ योजना के दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यो के कार्यान्वयन हेतु खर्च की जाएगी।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजनाः

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़को से जोड़ने के अतिरिक्त गांवो के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2002–2003 में 10 गैर जनजातिय जिलों में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में 2 कि0 मी0 लम्बी जीप योग्य/ ट्रैक्टर योग्य सड़को का भी निर्माण किया जाता है। वर्ष 2004. 05 में इस योजना को बन्द कर दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना को पुनः आरम्भ किया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए 1000.00 लाख रू0 की बजट धनराशि प्रावधित की गई है तथा सम्पूर्ण धनराशि गैर जनजातीय जिलों के उपायुक्तों को कार्यो के कार्यन्वयन हेतु जारी की जा चुकी है।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभागः–

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :–

1. जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना :–

इस पुस्तिका की सांख्यिकीय तालिकाओं में जनसंख्या,श्रम शक्ति, रोजगार, बेरोजगारी, प्रशिक्षण संस्थान जिनका सीधा सम्बन्ध प्रशिक्षण तथा रोजगार से हैं, सम्बन्धित सूचना का संकलन किया जाता है । तथ्य पुस्तिका वर्ष 2000–01 से 2005–06 तैयार कर दी गई है तथा वर्ष 2007–08 की सूचना का संकलन किया जा रहा है । इस पुस्तिका को प्रकाशित करने का कार्य निरन्तर प्रकृति का है जिसके लिये अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनरीक्षण आवश्यक है ।इस तथ्य पुस्तिका के तीन भाग हैं । भाग एक में जनसंख्या के लक्षणों की विस्तृत जानकारी तथा इसकी प्रक्षिप्त वार्षिक वृद्धि और राज्य में श्रम शक्ति की रचना । भाग दो में निजि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार से सम्बन्धित सांख्यकीय तालिकायें तथा रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर में प्रार्थियों की सख्या तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता दर्शाई जाती है । भाग तीन में राज्य में उपलब्ध शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं बारे जानकारी दी जाती हैं जैसे कि राज्य में संस्थानों की संख्या, अध्यापक, नामांकन, अर्न्तग्रहण (Intake) तथा बाहयार्पण (Outturn) ।

2. ई.एम.आई कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकडों के आधार पर रिपोर्ट :

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है । संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों के वर्ष 2007–08 की तिमाहीवार सूचना को एकत्रित करने तथा संकलन करने का कार्य किया जा चुका है तथा शीघ्र ही इस पुस्तिका को प्रकाशित किया जायेगा । वर्ष 2008–09 की सूचना को एकत्रित किया जा रहा है।

3. राज्य सरकार की रोजगार योजना :–

राज्य सरकार की रोजगार योजना के लिये अनुश्रवण एवं समीक्षा नीति :

राज्य सरकार में रोजगार योजना बजट दस्तावेज का एक उप–उत्पादन (by-product) है । योजना विभाग रोजगार सृजन से सम्बन्धित सूचना मासिक आधार पर समस्त सम्बन्धित विभागों से एकत्रित करता है । राज्य सरकार ने रोजगार येाजना के अन्तर्गत त्रिमुखी रोजगार नीति अपनाई है जिसके अन्तर्गत (1) सरकारी क्षेत्र में रोजगार (2)संगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्र में रोजगार और (3) मजदूरी घटक रोजगार सृजन के उल्लेख को राज्य सरकार की रोजगार नीति माना गया है । रोजगार सृजन की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिये मुख्य सचिव, हि0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में सचिवों की समिति का गठन किया गया है तथा रोजगार सृजन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक येाजना विभाग का एक नियमित लक्षण बन गया है। विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियाँ प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

4. दक्षता विकास (Skill Development)

दक्षता विकास के कार्य का समन्वय योजना विभाग द्वारा किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश में रोजगार के योग्य युवाओं के वर्तमान दक्षता के स्तरों को मापने और दक्षता अन्तर (Skill Gaps) के लिए अध्ययन का कार्य HPIDB द्वारा M/ S ICRA Management Consulting Services को सौंपा गया था । ICRA द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसके परिणामों के ऊपर ICRA द्वारा एक प्रस्तुति (Presentation) शीघ्र आयोजित की जाएगी ।

VII. परियोजना रूपांकन प्रभाग :-

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के परियोजना रूपांकण प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है । जिसके लिए अनुशासित एंव तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना पडता हैं । योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वितीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एंव वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एंव अनुश्रवण करता हैं । यह प्रभाग सहायता

प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु सीधे पत्राचार करता है । इस प्रभाग द्धारा जो कार्य किए जाते हैं उनका विवरण निम्न हैः–

1. राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का वर्षवार निर्धारित वितीय एंव भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा करना है ।
2. केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अद्यतन लेखा रखा जाता है तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्थिक कार्य विभाग, वित मन्त्रालय, भारत सरकार से निमुर्क्त करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य करता है ।
3. विभिन्न विभागों को परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श देता है ।

परियोजना प्रभाग को दिये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैः–

बाह्य सहायता के सन्दर्भ में प्रस्ताव :–

इस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों से नई परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतू समन्वय कार्य किया जाता है :–

1. जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोपरेशन (जे.बी.आई.सी.) ।
2. जर्मन संघीय गणतन्त्र एफ. आर. जी. व के. एफ. डब्लयू. ।
3. विश्व बैंक ।
4. जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजैंसी (जीका) ।
5. फ्रांस डिवैल्पमैंट एजैन्सी ।
6. एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.)

उपरोक्त संस्थानों से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया तथा उनसे यह आग्रह किया गया कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव बनाऐं । योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त इन परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी,,प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वितीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण किया गया तथा अनुमोदनोपरान्त सभी सम्बन्धित विभागों को लौटाया गया तथा उन्हें इन परियोजना प्रस्तावों को अपने सम्बन्धित मन्त्रालय के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से सम्बन्धित वित्त प्राधिकरणों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए उठाने की सलाह दी गई ।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूचना अनुबन्ध **"अ"** पर है ।

अनुबन्ध "अ"

PROJECT-WISE DETAILS OF ONGOING EAPs in H.P.

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Name of the Project	Total cost		Starting date	Conclud -ing date	Sharing Pattern		Cumula-tive exp. upto 31-3-2008	Cumula-tive reimb. received upto 31.03. 2008	Outlay for 2008-2009	Cum. Exp. incurred upto 31.1. 2009	Cum. Reimb. received upto 31.1. 2009	Proposed outlay for Annual Plan 2009-2010.
		Original	Revised			External Aid	State Share						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WB Aided HP State Road Project	1365.00	1365.00	7/2007	12/2012	90%	10%	29.85	1.59	95.00	86.92	-	100.00
2.	HP Mid-Himalayan Watershed Development Project	365.00	365.00	10/2006	3/2013	80%	20%	90.58	72.46	55.00	114.57	89.28	50.00
3.	Swan River Integrated Watershed Project	135.00	160.00	2006	2014	90%	10%	9.55	9.13	13.00	17.64	10.56	20.00
4.	Hydrology Project-II (WB)	49.50	49.50	4/2006	3/2012	90%	10%	5.22	3.19	8.20	8.24	6.34	8.00
5.	*GTZ Project on Irrigation (WASH)	15.87	15.87	2/2005	06/2010	85%	15%				0.20	-	0.15
6.	*GTZ Project for Micro Planning at Panchayat Level	7.95	10.20	3/2007	12/2012	80%	20%	-	-		6.40		
7.	Kashang (Stage-I) HEP (65 MW) Kashang (Stage-II & III) HEP (130 MW)	478.02 596.00	478.02 596.00	12/2008 12/2008	12/2012 12/2013	70% 70%	30% 30%	- -	- -	- -	121.93	- -	Project started on 12/2008
8.	Sawra Kuddu HEP(111 MW)	558.53	727.71	12/2008	12/2012	70%	30%	-	-	-	120.36	-	-do-
9.	Shongtong Karchcham HEP (402 MW)	2451.53	2749.60	12/2008	4/2014	70%	30%	-	-	-	16.77	-	-do-
10.	Sainj HEP (100 MW)	669.97	764.95	12/2008	6,2013	70%	30%	-	-	-	22.50	-	-do-
11.	Capacity Development	36.00	36.00	12/2008	-	100%	-	-	-	-	-	-	-do-

* The projects are being implemented in society mode. Therefore, the money goes to the Implementing Organizations directly from GTZ.

VIII. नावार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि–आर.आई.डी.एफ

वर्ष 1995–96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित मन्त्राी ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू–संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्किट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा । आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ–1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था । इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ -II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII तथा XIV के अर्न्तगत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत बढ़ा दिया गया ।

राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है । कुछ एक मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए प्रदेश सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाऐं अनुमोदित करवाई है या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण ।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
3. बाढ़ नियंत्राण कार्यो का निर्माण ।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण ''सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना''
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
7. ई–अभिशासन (E-Governance) ।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण
9. जल प्रवाह विकास योजना ।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।

नावार्ड द्वारा दिनांक 17–02–2009 तक प्रदेश सरकार को **2237.22** करोड़ रू0 के विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है । जिसका कार्य्रकमवार विवरण निम्नलिखित है :–

तालिका–1

(रू0करोड़ में)

ट्रांच विवरण	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	382	273.48	36.42	309.90
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	370	299.40	36.12	335.52
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12 (17.02.2009 तक)	136	425.12	28.15	453.27
	कुल योगः (I से XIV)	**4014**	**2237.22**	**219.20**	**2456.42**

दिनांक 5–2–2009 तक उपरोक्त स्वीकृत राशि की तुलना में प्रदेश सरकार ने 1400.63 करोड़ रू0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :–

तालिका–2

(रू0करोड़ में)

कार्यक्रम	स्वीकृत ऋण राशि	प्राप्त की गई राशि			प्रतिशतता
		1995-96 से 2007-08	2008-09 (05-02.09 तक)	कुल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
आर.आई.डी.एफ -II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
आर.आई.डी.एफ -III	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
आर.आई.डी.एफ -IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
आर.आई.डी.एफ -V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
आर.आई.डी.एफ -VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
आर.आई.डी.एफ-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
आर.आई.डी.एफ-VIII	169.29	150.87	2.92	153.79	90.84
आर.आई.डी.एफ -IX	141.70	101.90	8.43	110.33	77.86
आर.आई.डी.एफ -X	91.64	66.37	4.52	70.89	77.35
आर.आई.डी.एफ -XI	224.67	117.21	27.94	145.15	64.61
आर.आई.डी.एफ-XII	273.48	92.17	20.99	113.16	41.38
आर.आई.डी.एफ-XIII	299.40	60.03	28.45	88.48	29.55
आर.आई.डी.एफ-XIV	425.12	0.00	112.43	112.43	26.45
कुल	**2237.22**	**1194.95**	**205.68**	**1400.63**	**62.61**

* वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण राशि से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किए जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

IX. 20–सूत्रीय कार्यक्रम :-

हमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008–09 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम –2006 कार्यान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों में प्रदेश के निर्धन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 मदें चिन्हित की गई हैं, जिनके आधार पर उपलब्धि की समीक्षा की तुलना देशभर के अन्य राज्यों के साथ की जाती है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वर्ष 2008–09 में राज्यों की श्रेणीकरण में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है । चालू वित्तीय वर्ष में भी उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की स्थिति काफी अच्छी है । भारत सरकार से प्राप्त माह अक्तूबर, 2008 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणीकरण में प्रदेश का स्थान तृतीय आंका गया है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन मदों पर हमारे राज्य की स्थिति उत्कृष्ठ रही है, उनमें मुख्यतः सहायता प्राप्त वैयक्तिक स्वरोजगारी, स्व सहायता ग्रुपों को प्रदान किए गए आय अर्जन कार्यकलाप, खाद्य सुरक्षा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ;टीपीडीएसद्ध, खाद्य सुरक्षाः ;अंतोदय अन्न योजनाद्ध, छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यों की शुरूआत – एआरडब्ल्यूएसपी, चालू आईसीडीएस ब्लॉक, क्रियाशील आंगनवाड़ियां, रोपणाधीन शामिल क्षेत्र ;सार्वजनिक एवं वन भूमिद्ध, रोपित पौध ;सार्वजनिक एवं वन भूमिद्ध, प्रदान की गई बिजली ।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन की स्थिति उत्कृष्ट श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश अन्तर राज्य श्रेणीकरण में उच्चतम स्थान रखे रख सके ।

X. रेलवे प्रभाग :-

भारत सरकार के साथ रेलवे से सम्बन्धित निम्नलिखित मामले उठाए गए हैं :–

1. दिल्ली से नंगल जन शताब्दी रेलगाड़ी का ऊना तक विस्तार 14 दिसम्बर, 2008 से किया गया है ।
2. भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण के लिए भू–अधिग्रहण की स्वीकृति प्राप्त की गई है और इस रेल लाईन के दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । इस रेल लाईन के लिए भू–अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और इस रेल लाईन के प्रथम 20 कि0मी0 में भू–अधिग्रहण के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है । इस रेल लाईन का जो क्षेत्र पंजाब में पड़ता है, के लिए भी मामला पंजाब सरकार से उठाया गया है ।
3. बिलासपुर से लेह रेल लाईन के निर्माण के लिए रेलवें मंत्रालय के साथ पत्राचार किया गया है और रेलवे ने इस रेल लाईन का रेट्ट (RET) सर्वेक्षण पूरा कर दिया है। इस रेल लाईन के आर0 ओ0 आर0 के आक्कलन के लिए योजना विभाग के रेलवे प्रभाग

द्वारा यात्रियों व सामान के आवागमन के ऊपर आँकड़े रेलवे को भेज दिए गए है।

4. चण्डीगढ़–बद्दी ब्रॉडगेज रेल लाईन को स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र में इस रेल लाईन के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ आरक्षण जताया है। अब रेलवे के साथ मिलकर एक अन्य प्रस्ताव पर सोचा जा रहा है।

5. कालका–शिमला रेल लाईन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित करवाया गया है जिसका समर्पण समारोह शिमला में 8 व 9 दिसम्बर, 2008 को आयोजित किया गया था ।

6. चालू नंगल–तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाईन के कार्य की प्रगति को तेज किया गया है और चुरूडू टकारला से अम्ब अन्दौरा 11 कि0मी0 अनुभाग में भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

XI. मूल्यांकन प्रभाग :-

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है । मूल्यांकन का उददेश्य परियोजनाओं / योजनाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना है । वर्ष 2008–09 में निम्न दो विषयों पर मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा था :–

1- विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम (5%)

2. वाटरशैड विकास कार्यक्रम

जिला योजना कक्षों द्वारा उक्त अध्ययनों का क्षेत्रीय कार्य किया जा रहा है । राज्य मुख्यालय स्तर पर कर्मचारियों की कमी तथा जिला योजना कक्ष के कर्मचारियों का दूसरी गतिविधियों /नियत कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से अध्ययन निर्धारित समय पर नहीं हो सका है । यद्यपि, सम्बन्धित उपायुक्तों को इस सन्दर्भ में निर्देश जारी किए गए है कि अध्ययन का कार्य शीघ्र करवाएं ताकि मूल्यांकन अध्ययन का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके ।

मूल्यांकन प्रभाग द्वारा निम्न दो अध्ययन, जिनका सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है, को अन्तिम रूप दिया जा रहा है :–

1. सामुदायिक मत्स्य तालाब कार्यक्रम ।

2. क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज,शिमला में पंजीकृत व्यक्तियों का सर्वेक्षण ।

XII. कम्पयूटर प्रभाग :-

कम्पयूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्पयूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्पयूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफटवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफटवेयर को विकसित किया है :-

1. दसवीं पंचवर्षिय योजना (2007-2012) की जी0एन0 स्टेटमैटस पर सौफ टवेयर ।
2. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सबसिडीज स्कीमों के संकलन का कार्य ।
3. वार्षिक योजना (2008-2009) व वार्षिक योजना (2009-2010) के प्रबोधन कार्य का पैकएज ।
4. योजना विभाग के कर्मचारियों के पे-रोल तथा मासिक पे-रोल की अनुसूचियों व अतिरिक्त महंगाई भत्ते का पैकएज तैयार किया गया ।
5. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एंव एस0ओ0ई0 वार आंबटन का पैकएज तैयार किया गया ।
6. विभिन्न योजना कार्य्रकमों / स्कीमों के मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
7. आयकर विवरणिकाओं का सौफट-वेयर तैयार किया गया ।
8. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
9. वर्ष 2008-09 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार किया गया ।
10. नौराड परियोजनाओं की बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यवाही का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
11. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए Internet surfing का कार्य किया गया ।
12. Fact Book on Manpower and Quick Estimates अध्ययनों की रिपोर्टस का कम्पयूटरीकरण किया गया ।
13. विभाग की Web site तैयार करना तथा उस की maintenance/updation.

XIII. सूचना का अधिकार नियम 2005 उप-नियम 4 (1) (बी)के अन्तर्गत

(i)	**संख्याः1**	**कृपया क0सं0 1 पर विभाग के परिचय एवं संगठनात्मक ढांचे का अवलोकन करें**
(ii)	अधिकारियेां एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं डियूटी1	**सलाहकार (योजना)** विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण 1 **संयुक्त निदेशक (योजना)** संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) को विभिन्न योजना स्कीमों जैसे कि वाहय सहायता परियोजनाएं, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, ग्रामीण आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग देना। **उप-निदेशक (योजना)** विभाग के सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना रूपाकन, योजना कार्यान्वयन, परियेाजना रूपांकन, नौराड़ मूल्यांकन एवं रोजगार कम्पयूटरीकरण, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के नियन्त्रक हैं तथा विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निवारण हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं 1 **अनुसंधान अधिकारी** विभागों के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं 1सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती है । **सहायक अनुसंधान अधिकारी** विभिन्न कार्यों, प्रस्तावेां एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । **सांख्यिकीय सहायक** विभिन्न कार्यों, प्रस्तावेां एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियेां को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं । **गणक** विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियेां द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं 1 **कार्यक्रम योजना अधिकारी** कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्पयूटर कक्ष के प्रभारी हैं 1 यह कक्ष योजना विभाग में जहां पर कम्पयूटर पर कार्य की आवश्यकता पड़ती है उन्हें करने के लिए बनाया गया है 1 **गणक संचालक** यह कर्मचारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के कम्पयूटर से सम्बन्धित कार्यों जैसे कि डाटा फीड इत्यादि में कार्यक्रम योजना अधिकारी की सहायता करते हैं 1

		<u>अधीक्षक ग्रेड–11</u> अधीक्षक वर्ग–11 योजना विभाग के प्रशासन कक्ष में प्रशासनिक कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत है1 प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी नस्तियां अधीक्षक वर्ग–11के माध्यम से , आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं उप–निदेशक (प्रशासन) कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से अपनी नस्तियां विभागाध्यक्ष को अन्तिम निर्णय के लिए प्रशासनिक मामले प्रस्तुत करते हैं 1 **<u>वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक</u>** विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को उच्च अधिकारियेां के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं 1 **<u>लिपिक</u>** यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग–11 द्वारा सौंपे गए डायरी डिस्पैच एवं अन्य कार्य का निष्पादन करते हैं 1 **<u>निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक</u>** यह कर्मचारी विभागाध्यक्ष,संयुक्त निदेशक एवं उपनिदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं 1 तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख–रखाव करते हैं 1 **आशुटंकक** योजना विभाग के मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों एवं जिला योजना कक्षों में टंकण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यरत हैं 1 **<u>प्रतिलिपि यन्त्र चालक</u>** विभाग के प्रतिलिपि यन्त्र एवं फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं 1 **<u>चपड़ासी</u>** विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना तथा टेवल इत्यादि की सफाई का कार्य करते हैं 1 **<u>चौकीदार</u>** विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखता है 1 **<u>सफाई कर्मचारी</u>** विभाग के कमरों,वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनें की सफाई हेतु नियुक्त हैं 1
(iii)	प्रतिवद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णायत्मक प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	मुख्यालय स्तर पर सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं 1 विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते है। विभाग की नस्तियां प्रभागध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है 1

(iv)	कार्य निष्पादन हेतु निश्चित मापदण्ड	विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं 1
(v)	नियम,विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यो के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं 1	नियमों विनियमों, निर्देशों नियमावली जोकि विभाग के पास है उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैंः- 1. सी.सी.एस. लीव रूलज,1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डैंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मैनुअल 9. आफिस मैनुअल 10. पैंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम 12. विकेन्द्रकृत नियोजन दिशा निर्देश 13. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम दिशा निर्देश 14. क्षेत्रीय विकास निधि येाजना दिशा निर्देश 15. मुख्यमन्त्री गाम पथ योजना दिशा निर्देश 16. सांसद निधि योजना दिशा निर्देश 17. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना दिशा-निर्देश 18. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना दिशा निर्देश 19. ग्रामीण संरचना विकास निधि दिशा निर्देश
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों1	पंच वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मुल्यांकन अध्ययन,जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायकों की प्राथमिकताओं की स्कीमें तथा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 1
(vii)	किसी निति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो 1	हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन विभाग में होता है तथा इसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को शामिल किया जाता है 1 इस बोर्ड की बैठकों में वार्षिक येाजनाएं एवं पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता है तथा अनुमोदन उपरान्त इनकी प्रगति एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा भी की जाती है 1

(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो1	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- 1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड 1 2. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा समितियां । इन बोर्डो/कमेटियों की बैठकें आम लोगेां के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही लोग ले सकते हैं 1
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियेां की निर्देशिका 1	1. सलाहकार (योजना) 2. संयुक्त निदेशक(योजना) 3. उपनिदेशक(योजना) 4. अनुसंधान अधिकारी 5. सहायक अनुसंधान अधिकारी 6. सांख्यिकीय सहायक 7. गणक 8. कार्यक्रम योजना अधिकारी 9. गणक संचालक 10. अधीक्षक वर्ग-11 11. वरिष्ठ सहायक 12. कनिष्ठ सहायक 13. लिपिक 14. निजि सहायक 15. निजि सचिव 16. वरिष्ठ आशुलिपिक 17. कनिष्ठ आशुलिपिक 18. आशुलिपिक 19. प्रतिलिपि यन्त्र चालक 20. चपड़ासी 21. चौकीदार 22. सफाई कर्मचारी

(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली 1	स्रकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियेां व कर्मचारियों को परिश्रमिक दिया जाता है 1 वेतनमान विवरण निम्न प्रकार से हैः–	
		1. सलाहकार (योजना)	14300-20100
		2. संयुक्त निदेशक(योजना)	12000-15500
		3. उपनिदेशक(योजना)	10025-15100
		4. अनुसंधान अधिकारी	7880-11660
		5. सहायक अनुसंधान अधिकारी	6400-10640
		6. सांख्यिकीय सहायक	5800-9200
		7. अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस)	7220-11660
		8. निजि सचिव	7220-11660
		9. निजि सहायक	6400-10640
		10. अधीक्षक–11	6400-10640
		11 वरिष्ठ सहायक	5800-9200
		12. गणक	3120-5160
		13. कनिष्ठ सहायक	4400-7000
		14. लिपिक	3120-5160
		15. कार्यक्रम योजना अधिकारी	6400-10640
		16 गणक संचालक	5000-8100
		17. वरिष्ठ आशुलिपिक	5800-9200
		18. कनिष्ठ आशुलिपिक	4400-7000
		19. आशुटंकक	3330-6200
		20. प्रतिलिपि यन्त्र चालक	2820-4260
		21. चपड़ासी	2520-4140
		22. चौकीदार	2520-4140
		23.. सफाई कर्मचारी	2520-4140
(xi)	प्रत्येक एजैंन्सी का बजट आबंटन जिसमें सभी योजनओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपेार्ट जो वनती है 1	वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एजैन्सी को त्रैमासिक /किस्तों के आधार पर बजट आबंटन किया जाता है 1 निम्नलिखित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु बजट जारी किया जाता हैः– 1. विकास में जन सहयोग 2. विकेन्द्रीकृत नियोजन 3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ येाजना 5. राष्ट्रीय सम विकास योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी निर्देशों एवं फारमुला के अनुरूप निधियों का आबंटन येाजना विभाग करता है 1	

(xii)	उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित 1	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जताा है 1
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण	लागू नहीं
(xiv)	इलैक्ट्रानिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे	विभाग की वैवसाईट वनाई गई है1 तथा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना इस वैवसाईट http// hpplanning.nic.in. में उपलब्ध हैं 1
(xv)	लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाईब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो 1	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक केवल रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोकर प्राप्त की जा सकती है 1
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियेां के नाम पर एवं विवरण 1	सूचना निम्न प्रकार से है1
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो 1	शून्य

लोक सूचना अधिकारियों के पद सहित विवरण
योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश. शिमला

सचिवालय स्तर पर

			दूरभाप न0
(क)	सहायक जन सूचना अधिकारी	अनुभाग अधिकारी (योजना) हिमाचल प्रदेश शिमला	2880461
(ख)	जन सूचना अधिकारी	अवर/उप/संयुक्त सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	2628486
(ग)	नोडल अधिकारी	अतिरिक्त/विशेष सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	2624183
(घ)	अपील प्राधिकारी	प्रधान सचिव/सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला	2621586

अधिसूचना संख्याः योजना-ए(3)4/2005 दिनांक 31-05-2008 सूचना का अधिकार, 2005 (ऐक्ट संख्या 22 आफ 2005) के उप-धारा 5(1) तथा 19 के अर्ज्तगत ।

राज्य स्तर पर

(क)	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	जन सूचना अधिकारी
(ख)	उप-निदेशक निदेशक (योजना)	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ग)	विभागाध्यक्ष	**अपील प्राधिकारी**

जिला स्तर पर

(क)	समस्त जिला येाजना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी

(अधिसूचना संख्याः योजना-ए(3)4/2005 दिनांक 22-12-2005) :

सूचना का अधिकार. अधिनियम–2005 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री प्रभारी मन्त्री, प्रधान सचिव (योजना) प्रशासनिक सचिव तथा सलाहकार (योजना)संगठन के विभागाध्यक्ष सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं ।

Only for Official use

ANNUAL

GENERAL ADMINISTRATION

REPORT

2008-2009

Planning Department,
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171 002

I N D E X

Sr.No.	Subject	Page
1.	Introduction	1
2.	Administration Division	1-2
3.	Plan Formulation Division	3-4
4.	Plan Implementation Division	4-6
5.	Backward Area Sub-Plan Division	6-7
6.	Regional and District Planning Division	7-8
7.	Manpower and Employment Division	9
8.	Project Formulation Division	10-11
9.	NABARD-RIDF	12-14
10.	20 Point Programme	15
11.	Railway	15-16
12.	Evaluation Division	16
13.	Computerisation	16-17
14.	Right to Information Act.-2005	18-23

****

INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes etc. The other activities consist of Project Formulation & Appraisal, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning and Implementation of Backward Area Sub-Plan.

Organisational Structure

The organisational structure of Planning Department consists of following three tiers :

1. Headquarters.
2. District Offices.
3. State Planning Board.

1. Headquarters

At the Headquarters, Adviser(Planning), H.P. Government is the Head of the Department. Under him various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerisation, Evaluation, Manpower and Employment, Administration, Regional & District Planning and Backward Area Sub-Plan are functioning.

These divisions are headed by Joint Director, Head of Office and the Deputy Directors. According to rule of business, following is structure for the transaction of official business:-

1. Hon'ble Chief Minister
   (Planning Minister)
   |
2. Pr. Secretary (Planning)
   |
3. Adviser (Planning).

2. District Offices

Under the decentralised planning process, field Offices have been opened in all ten non-tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners and have been provided with a staff set-up of one District Planning Officer, one Credit Planning Officer, one Assistant Research Officer, One Statistical Assistant, one Assistant (two in the case of Shimla, Kangra and Mandi), one Steno-typist, one Clerk and a Peon.

I. ADMINISTRATION DIVISION :-

The Joint Director has been declared as the Head of Office. Under him the Divison is headed by a Deputy Director. In this division the following staff has been provided :-

(a) Drawing and Disbursing Officer	- 1
(b) Superintendent	- 1
(c) Senior Assistant	- 4
(d) Junior Assistant	- 2
(e) Clerk	- 2
(f) Peon	- 1
(g) Chowkidar	- 1
Total	**12**

This division plays routine role to run this organisation. The staff position of this department is given below :-

STAFF POSITION OF THE PLANNING DEPARTMENT

S.No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	Dy. Chairman	1	-	1
2	Adviser (Plg.)	1	1	-
3	Joint Director	1	1	-
4	Deputy Director	5	5	-
5	Research Officer	20	17	3
6	Programme Plg. Officer	1	1	-
7	Credit Planning Officer	10	10	-
8	Superintendent	1	1	-
9	Senior Assistant	20	20	-
10	Junior Assistant / Clerk	16	14	2
11	Private Secretary	1	-	1
12	Personal Assistant	2	1	1
13	Assistant Research Officer	17	14	3
14	Statistical Assistant	20	17	3
15	Computer	6	6	-
16	Computer Operators	2	2	-
17	Senior Scale Stenos	1	1	-
18	Junior Scale Stenos	6	6	-
19	Stenotypists	12	4	8
20	Driver	3	3	-
21	Peons	20	20	-
22	Chowkidar	1	1	-
23	DMO	1	1	-
24	Jamadar	1	-	1
25	Sweeper	1	1	-
26	Frash	1	1	-
	TOTAL	**171**	**148**	**23**

The Administrative Wing of this department does routine work of recruitment, promotion and confirmation of staff, initiation of disciplinary proceedings against the erring employees, transfers/postings, accounts, budget and store matters. During

the year under report, the Administrative Division of the department accomplished all its assignments within the time frame fixed for the purpose.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

The details of the work done during the year 2008-2009 are summarized as under:-

1. Preparation of State's Draft Annual Plan Document for the Year 2009 -10.

- The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2009-2010 were issued to all concerned departments for submission of detailed Annual Plan proposals within the tentative plan size worked out in the meetings between Pr. Secretary(Plg.) and concerned Administrative Secretaries.

- On scrutiny of departmental proposals and analysis of data, a Draft Annual Plan document for the year 2009-2010 was prepared and submitted to the Planning Commission, Govt. of India for meetings of Working Groups as also for the meeting between Hon'ble Deputy Chairman, Planning Commission and Hon'ble Chief Minister, H.P.

- The State Govt. proposed a plan size of Rs. 2700 crore for the Annual Plan (2009-10) which was also approved by the Planning Commission. The Sector–wise break up of the outlay is given below :-

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Sector	Annual Plan (2009-2010) Outlay
1.	**2.**	**3.**
1.	Agriculture and Allied Activities	29920.00
2.	Rural Development	14302.00
3.	Special Area Programme	1297.00
4.	Irrigation & Flood Control	27074.00
5.	Energy	35486.00
6.	Industry and Minerals	2136.00
7.	Transport & Communication	54781.00
8.	Science, Technology & Environment	1600.00
9.	General Economic Services	9550.00
10.	Social Services	87197.00
11.	General Services	6657.00
	Total :	**270000.00**

The Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic outlays were conveyed to the Finance Department for preparation of the State's Budget for the year 2009-10.

1. Priority Areas Issues :

Planning Department has been declared as the nodal department for coordination on important development issues which lie pend in various Central Ministries or else where.

During the period, issues of Railways, Tourism, Education, Industries and Water Supply etc. were taken-up by the State Govt. The following issues have been brought to logical conclusion :-

1. Extending of Jan Shatabadi train from Nangal to Una .
2. Setting up of a National Institute for Fashion Technology (NIFT)/ Institute of Information Technology (IIT).
3. Declaration of Kalka-Shimla railway line as World Heritage site.
4. Declaration of Nagrota – Ranital – Dehra Mubarikpur and Paonta – Rajban – Shillai – Minas- Hatkoti roads as National Highways.
5. ADB funding for Sawra Kuddu Hydro Electric Project 111 MW, Kashang Hydro Electric Project 195 MW, Sainj Hydro Electric Project 100 MW and Shongtong-Karchham Hydro Electric Project 402 MW.

3. Public- Private Partnership:

Planning Department has also been declared as the nodal agency for coordination of issues of Public-Private Partnership Projects. Project proposals in this regard are being sent to Govt. of India for seeking assistance for Viability Gap Funding.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals for diversion and reappropriation thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/reappropriations are permitted.

2. Additionalities are provided from those schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.

3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities and dispose-off cases promptly.

4. During the period under report information on diversions and reappropriations was called from all the departments to report the proposals in Earmarked & Non-earmarked Sectors to the Planning Commission, Govt. of India. The proposals were scrutinized and examined so as to get revised outlays approved from Planning Commission, Govt. of India in time. Accordingly, the approval of Planning Commission, Govt. of India to the revised outlay of Rs. 2534.69 crore against the originally approved outlay of Rs. 2400.00 crore for the State's Annual Plan (2008-09) has been obtained.

5. During the year under report, 193 references from different departments for obtaining advice on their departmental files were received and were examined,

processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.

6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget by developing a software for this purpose.

1. Review of Quarterly Progress Reports:

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms have been fixed for incurring of plan expenditure under various heads of development :

Sr.No.	Quarters	Percentage of Expenditure
1.	First Quarter	25%
2.	Second Quarter	30%
3.	Third Quarter	25%
4.	Fourth Quarter	20%
5.	Total	100%

The revised proposal of outlays alongwith scheme of financing, plan expenditure of Annual Plan 2008-09 upto December, 2008 and audited expenditure for the Annual Plan (2007-08) were supplied to Finance Ministry and Planning Commission, Govt. of India to enable the State Government in getting withheld Central Assistance released.

2. Quarterly Budget Authorisation:-

A new system of Quarterly Budget Authorization has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorization for the year 2008-09 was given to all departments and quarterly progress reports on financial spending were collected from the departments for review.

3. Budget Assurances:

This division also convenes the monthly review meetings to monitor the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech. The information from nodal departments was collected, compiled and progress of implementation of Budget Assurances for the year 2008-09 was reviewed under the Chairpersonship of Chief Secretary periodically and necessary instructions given to the departments for full implementation of these budget assurances.

4. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress.

This Division has performed following functions under CSS during the year 2008-09 :-

i) Advices regarding financial implications of CSSs and their counterpart provision in plan were given to the implementing departments.

ii) Liaison between Govt. of India and various H.P. Govt. departments was maintained.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP):-

Since the Fourth-Five Year Plan, Himachal Pradesh Government has been experimenting appropriate and viable alternative strategies for speedy development of the backward areas in the State. After a careful analysis of the situation and on the basis of experience gained through other decentralization efforts, the State Government has evolved the concept of Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of micro-regional disparities in the level of development. During the year 1995-96, H.P. Government, in consonance with the budget speech of Hon'ble Chief Minister, framed a comprehensive policy for backward areas which is under implementation since then in H.P. The salient features of the policy are as under:-

(a) The Backward Area Sub Plan comprises of three categories:-

(**i) Backward Blocks**: All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.

(ii) Contiguous Pockets: Group of five or more declared backward Panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward Panchayats in the State.

(iii) Dispersed Panchayats: Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (I) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 114 Dispersed Panchayats in the State.

(b) 15% outlays of the selected thirteen heads of development are earmarked for BASP.
(c) Both, beneficiaries oriented and infrastructure development approaches have been adopted.
(d) The allocation to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
(e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions/ re-appropriation with the approval of DPDC. Dy. Commissioners and District Planning Officers have been declared controlling and Drawing & Disbursing Officers respectively.

There are total 551 Panchayats declared as backward in the State. The single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has also been created by the State Government for separate budgetary arrangements under BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility

as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of Rs. 5129.25 lakh has been earmarked under BASP for the year 2008-09 under Plan and Rs. 3592.23 lakh under Non-Plan. An amount of Rs.5700.00 lakh has been proposed under Plan and Rs. 3734.32 lakh under Non-Plan for the next financial year 2009-10 under BASP.

The District wise details of numbers of Backward declared Panchayats and funds earmarked under BASP for 2008-09 are as under:-

(Rs. In Lakh)

Sr. No.	District	No of Backward declared Panchayats	BASP 2008-09 OUTLAYS		
			Plan	Non-Plan	Total
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Bilaspur	15	139.63	97.79	237.42
2	Chamba	159	1480.13	1036.60	2516.73
3	Hamirpur	13	121.02	84.75	205.77
4	Kangra	17	158.25	110.83	269.08
5	Kullu	79	735.41	515.04	1250.45
6	Mandi	149	1387.04	971.40	2358.44
7	Shimla	83	772.65	541.11	1313.76
8	Sirmour	26	242.03	169.51	411.54
9	Solan	7	65.16	45.64	110.8
10	Una	3	27.93	19.56	47.49
	TOTAL	551	5129.25	3592.23	8721.48

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION :

For the implementation and monitoring of various Decentralised Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at the State level office of Planning Department. Description of the various activities of Decentralised Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS) :

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Govt. efforts / resources, the programme-Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced for implementation in the year 1991-92 . Under this programme, people's participation is purely on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited into Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy Commissioner. The schemes with an estimated cost of Rs. 10.00 lakh and below are sanctioned by the DCs and schemes estimating upto Rs. 20.00 lakh are sanctioned at the Directorate of Planning, upto Rs. 40.00 lakh by the Secretary (Planning) and above Rs. 40.00 lakh are sanctioned by Finance Department. Only 1 schemes involving Government share of Rs.36.53 lakh was sanctioned

during the year 2008-09 (1.4.2008 to 31.3.2009) from the State Headquarters and besides this, an amount of Rs. 1322.73 lakh was allocated to the DCs (Except Kinnaur and Lahaul & Sipiti districts) for the works to be sanctioned at their level.

2. Sectoral Decentralised Planning (SDP) :

Sectoral Decentralised Planning Programme has been started in the Pradesh during the year 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links of budget are mainly taken up for implementation. Against the budget provision of Rs. 3499.90 lakh, an amount of Rs. 3649.90 lakh was allocated to the Deputy Commissioners (Except Kinnaur & Lahaul Spiti) upto 31-3-2009 for issuing sanctions at their level during the year 2008-2009. The additional funds under this programme was provided by way of reappropriation from VMJS programme.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

Towards strengthening of decentralisation process, the State Government has started a new scheme **"Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana"** fom the year 1999-2000 but it was discontinued during the year 2001-2002. This scheme has been restarted during the year 2003-04 and funds of the order of Rs. 24 lakh were allocated to each MLA for the execution of developmental works in their constituencies. The implementation and monitoring of the scheme has been made more effective and intensive with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state irrespective of political affiliation and all elected MLAs are also getting equal treatment. During the current financial year 2008-2009, Rs. 1956.12 lakh were provided by this department to the Non-Tribal districts at the rate of Rs. 30.00 lakh per Vidhan Sabha Constituency for execution of developmental works.Out of Rs. 30.00 lakh, Rs. 5.00 lakh will be spent on the works under norms of Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) with the recommendation of Hon'ble MLA's .

4.Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY)

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca besides having a provision for the construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Govt. has permitted construction of jeepable/tractorable link roads upto 2km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this schemes was discontinued and has been restrated during the financial year 2008-09 with a budget provision of Rs. 1000.00 lakh. Total budget under this programme has been allocated to the Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION :-

The following main tasks have been assigned to Manpower and Employment Division:-

1. Fact Book On Manpower :-

In this publication, data with statistical tables regarding population, Manpower, employment, unemployment, training institutions directly related to the training and employment is compiled. The collection and compilation of the data on "Fact Book On Manpower" for the year 2000-2001 to 2005-2006 has been accomplished and the data for the year 2007-08 is being compiled. The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodical follow-up and revision.

This Fact Book has three parts . Part one contains detailed information about the characteristics of population and its projected annual growth and the composition of workforce in the State. Part two contains statistics relating to employment pattern in public and private sectors. It also gives an account of distribution and number of applicants on Live registers of employment exchanges and educational status of job-seekers, Part three gives information on education and training facilities in the State viz. number of institutions, teachers, enrolment, intake and outturn etc. in the State.

2. Reports On The Basis Of Data available Under EMI Programme :-

The quarterly review reports of employment generation in the Organized sector of the economy under " Employment Market Information Programme ", was started during the year 1988. The quarterly report for the year 2007-08 is ready for print. The data for the year 2008-09 is being collected.

3. State Government Employment Plan :-

Implementation, Monitoring and Review Policy of the State Government for Employment Plan :-

There is a State Employment Plan as by-product of the budget document. The Planning Department collects the information on employment generation from the concerned departments on a monthly basis. The State Government has adopted a three pronged strategy under employment Plan which has been divided into three sectors viz; Government sector Employment Plan, Organised and Self Employment sector Plan and Wage Employment sector Plan. A committee of Secretaries has been constituted under the Chairmanship of Chief Secretary, H.P Government to review the progress of employment generation in terms of financial and physical on monthly basis. Review meeting has become a regular feature with the Planning department. The departments have been requested to ensure full achievements of the targets.

4. Skill Development :-

The work relating to skill development is coordinated by Planning Department. For Mapping the existing skill levels of the Employable Youth and the skill gap in Himachal Pradesh, a study has been awarded to Ms/ICRA Management Consulting

Services by HPIDB . The agency has submitted the final report on which a presentation by ICRA is likely to be arranged shortly to deliberate on the results of the study.

VII. PROJECT FORMULATION DIVISION :

Project Formulation Division in the Planning Department. has been assigned the task of project formulation and project appraisal. The subject requires a multi-disciplinary and rational approach. The project formulation division analyses the project proposals of different departments and NGO's submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, JBIC, JICA, GTZ & KFW. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAP's being implemented in the State and also keeps track of over all Additional Central Assistance being received in respect of EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in the EAPs in the State required by the donors.

For this purpose, following steps were undertaken during the year 2008-09 by this division:-

(1) Review and monitoring of financial and physical progress of EAPs on quarterly basis.
(2) Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , Govt. of India and was updated.
(3) Advises were given to the different departments in the context of project proposals for integration of activities, avoiding overlapping in terms of activities and bringing in administrative expediency in terms of project execution.

The other important assignments undertaken during the period under report by this division are as under:-

The division had been in constant touch with the following external funding agencies for tieing-up the new projects:-

i) Japan Bank for International Co-operation
ii) GTZ & KFW
iii) World Bank.
iv) Japan International Co-operation Agency(JICA).
v) French Agency for Development
vi) Asian Development Bank

The Guidelines received from these institutions were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in this division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters. After analysis, these project proposals were returned to the concerned deptt; with the observations of Planning Deptt. for alterations and modifications for posing these projects to the funding agencies through the Central line Ministries of the departments and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India.

The details of on-going EAPs in Himachal Pradesh is given at Annexure-'A'.

PROJECT-WISE DETAILS OF ONGOING EAPs in H.P.

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Name of the Project	Total cost		Starting date	Conclud -ing date	ैितपदह चंजजमतद		Cumula-tive exp. upto 31-3-2008	Cumula-tive reimb. received upto 31.03. 2008	Outlay for 2008-2009	Cum. Exp. incurred upto 31.1. 2009	Cum. Reimb. received upto 31.1. 2009	Proposed outlay for Annual Plan 2009-2010.
		Original	Revised			External Aid	State Share						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WB Aided HP State Road Project	1365.00	1365.00	7/2007	12/2012	90%	10%	29.85	1.59	95.00	86.92	-	100.00
2.	HP Mid-Himalayan Watershed Development Project	365.00	365.00	10/2006	3/2013	80%	20%	90.58	72.46	55.00	114.57	89.28	50.00
3.	Swan River Integrated Watershed Project	135.00	160.00	2006	2014	90%	10%	9.55	9.13	13.00	17.64	10.56	20.00
4.	Hydrology Project-II (WB)	49.50	49.50	4/2006	3/2012	90%	10%	5.22	3.19	8.20	8.24	6.34	8.00
5.	*GTZ Project on Irrigation (WASH)	15.87	15.87	2/2005	06/2010	85%	15%			0.30	0.20	-	0.15
6.	*GTZ Project for Micro Planning at Panchayat Level	7.95	10.20	3/2007	12/2012	80%	20%	-	-	0.10	6.40		
7.	Kashang (Stage-I) HEP (65 MW) Kashang (Stage-II & III) HEP (130 MW)	478.02 596.00	478.02 596.00	12/2008 12/2008	12/2012 12/2013	70% 70%	30% 30%	- -	- -	- -	121.93	- -	Project started on 12/2008
8.	Sawra Kuddu HEP(111 MW)	558.53	727.71	12/2008	12/2012	70%	30%	-	-	-	120.36	-	-do-
9.	Shongtong Karchcham HEP (402 MW)	2451.53	2749.60	12/2008	4/2014	70%	30%	-	-	-	16.77	-	-do-
10.	Sainj HEP (100 MW)	669.97	764.95	12/2008	6,2013	70%	30%	-	-	-	22.50	-	-do-
11.	Capacity Development	36.00	36.00	12/2008	-	100%	-	-	-	-	-	-	-do-

* The projects are being implemented in society mode. Therefore, the money goes to the Implementing Organizations directly from GTZ.

Sl. No. 7 to 11 :-No Project-wise outlays are available. However, an amount of Rs. 290.50 crore has been provided as equity contribution for Generation for 2009-10 in the Plan.

VIII. NABARD-RIDF :-

Rural Infrastructure Development Fund under NABARD sponsored programmes for extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards has been implemented in the State since **RIDF-I (1995-96).** This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII and XIV** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects which was later on extended **upto 90% / 95%** under successive RIDF tranches.

The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Govt. has either got projects approved or has posed projects to the NABARD for funding are :-

(i) Construction of Roads and Bridges.

(ii) Construction of Irrigation schemes.

(iii) Construction of Flood Protection Works.

(iv) Construction of Primary School Buildings (Under S.B.V.S.Y.).

(v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.

(vi) Establishment of Citizen Information Centres.

(vii) E-Governance.

(viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.

(ix) Watershed Development Project.

(x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.

(xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).

(xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.

Upto 17th February, 2009 the NABARD has sanctioned a loan assistance of Rs. 2237.22 crore in favour of Himachal Pradesh, the tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)

Sr. No	Description of Programme	Duration	No. of Sch. sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contri-bution	Total Amount Sanctioned
1	2	3	4	5	6	7
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2K	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2K To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	382	273.48	36.42	309.90
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	370	299.40	36.12	335.52
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12 (UPTO 17.02.2009)	136	425.12	28.15	453.27
		GRAND TOTAL (I TO XIV)	**4014**	**2237.22**	**219.20**	**2456.42**

Against the above sanctioned NABARD loan the State Govt. has received/availed an amount of Rs. 1400.63 crore upto 05.02.2009 from the NABARD. The tranche-wise details are as under :-

TABLE - 2

(Rs. in Crore)

Name of the Programme	**NABARD's Sanctioned**	**Tranches-wise Loans availed**			**Percentage of Loan availed**
		1995-96 to 2007-08	**2008-09 (upto 05-02.09)**	**Total**	
RIDF-I	14.23	14.23	0.00	14.23	100.00
RIDF-II	52.96	52.84	0.00	52.84	99.77
RIDF-II	51.12	49.43	0.00	49.43	96.69
RIDF-IV	87.81	79.14	0.00	79.14	90.13
RIDF-V	110.36	108.09	0.00	108.09	97.94
RIDF-VI	127.20	127.88	0.00	127.88	100.53*
RIDF-VII	168.24	174.79	0.00	174.79	103.89*
RIDF-VIII	169.29	150.87	2.92	153.79	90.84
RIDF-IX	141.70	101.90	8.43	110.33	77.86
RIDF-X	91.64	66.37	4.52	70.89	77.35
RIDF-XI	224.67	117.21	27.94	145.15	64.61
RIDF-XII	273.48	92.17	20.99	113.16	41.38
RIDF-XIII	299.40	60.03	28.45	88.48	29.55
RIDF-XIV (upto 17.02.09)	425.12	0.00	112.43	112.43	26.45
Total :-	**2237.22**	**1194.95**	**205.68**	**1400.63**	**62.61**

* The disbursement figure exceeded from sanction due to the fact that advance earlier paid/released was not adjusted in future drawls.

The Planning Department has been made the Nodal Department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the programme.

IX. 20-POINT PROGRAMME:-

NEW 20- POINT PROGRAMME-2006

In the year 2008-09, Government of Himachal Pradesh has provided a wide range of facilities for the upliftment of weaker section of the society under the schemes being implemented under Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006). Under this programme, 18 items has been listed, on the basis of these, assessment of the achievement is done with the other States. In the implementation of Twenty Point Programme the State was ranked 2nd under Inter State ranking. The position of the State in the implementation of this programme during current financial year is also good. On the basis of report received from Government of India for achievements upto October 2008, the State has been ranked 3rd among all States in Inter State ranking. In the implementation of Twenty Point Programme-2006 the items on which State's position remain " Very Good " are as :- Individual Swarozgaries Assisted-SGSY, SHGs provided income generating activities, Food security (Targeted Public Distribution System), Food Security (Antodaya Anna Yojna), Habitations Covered (NC and PC) – ARWSP, ICDS Blocks Operational, Anganwadis Functional, Area Covered under Plantation (Public and Forest Lands), Seedlings Planted (Public and Forest Lands), Electricity supplied.

Directions were issued to all concerned Administrative Secretaries and Head of Departments to bring the position of implementation of this programme to **"VeryGood" position** so that State is in a position to retain top most place in Inter State ranking.

X. RAILWAY DIVISION :-

The following issues of railways were taken up with the Government of India:-

1. The Jan Shatadbi train from Delhi to Nangal has got extended upto Una with effect from 14th December, 2008.

2. Under Bhanupalli- Bilaspur- Beri BG rail line, the land acquisition work for laying the rail line has been sanctioned with a tentative commissioning of project in December, 2015. The Land Acquisition Officer (LAO) for this rail line has been appointed and proceedings have been started to acquire the land in first 20 kms of this rail line. The matter of acquiring land in area falling in Punjab has been taken up with the Govt. of Punjab.

3. The correspondence for the construction of rail line from Bilaspur to Leh taken up with the railway and the railways has undertaken the RET survey. The Railway Division in the Planning Department has provided the data for inward and outward transportation of passengers and goods for this rail line to the Railways for working out the RoR.

4. The Chandigarh- Baddi BG rail line has also been sanctioned but Chandigarh Administration has expressed certain reservation on the construction of the line from its territory. Now an alternative proposal from Ghanauli in Punjab is being thought of in consultation with the railways.

5. The Kalka- Shimla rail line has been declared as World Heritage by UNESCO and dedication ceremony was held on 8th and 9th December, 2008 at Shimla.

6. The work on ongoing Nangal- Talwara rail line was expedited and land acquisition proceedings have been started on the track of 11 kms from Chururu -Takarla to Amb-Andora.

XI. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation division of Planning Department is doing the evaluation work of different plan schemes and projects. The objectives of the evaluation is to suggest remedial measures for the effective implementation of projects/ schemes. During the year 2008-09, field work in respect of following evaluation studies is going on :-

i) Sectoral Decentralization Planning (5%).
ii) Watershed Development Programme.

Field work in respect of these studies is being carried out by District Planning Cells. Due to shortage of staff at State headquarters and the engagement of District Planning Cells staff for other activities / assignments, the survey work could not be accomplished during the prescribed period. However, instructions have been issued to concerned Deputy Commissioners to expedite the field work so that studies are finished at the earliest.

The following studies, for which survey work has been completed, will be finalized very shortly by the evaluation division:

1) Community Fish Ponds Programme.
2) Survey of Registrants of Regional Employment Exchange, Shimla..

XII. COMPUTERISATION DIVISION :

Computerisation Division has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. All the reports / publications undertaken by the Planning Department are processed on computer and lateron get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software of the department has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Software on GN Statements of Eleventh Five Year Plan (2007-12) and Annual Plan (2009-10).

2. Compilation of various Subsidies schemes being executed by various departments in H.P.

3. Monitoring of Annual Plan (2008-09) & Annual Plan (2009-10) Package.

4. Package on Payroll of Department & Monthly Pay Roll schedules and ADA/IR.

5. Backward Area Sub-Plan, Distt./SOE-wise allocation of budget outlays package.

6. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.

7. Income Tax Statements Software.

8. Computerisation of Follow-up Action of decisions taken in the meetings held with MLAs for formulation of State's Annual Plan (2008-2009).

9. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year (2008-2009).

10. Agenda Notes for Meetings of NORAD Projects and their proceedings.

11. Internet Surfing for funding of EAPs.

12. Fact Book on Manpower and Quick Estimates Publications.

13. Development of Department Web site and site maintenance/updation.

XIII. Annual updation of publication in terms of Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see Sr. No.1 "Background and introduction"
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	**Adviser (Planning)** Overall administrative and financial control of the Department. **Joint Director(Planning):** He assists the Adviser (Planning) in the implementation and monitoring of all State projects being extended through External Assistance. Besides, he over sees the work of Backward Area Sub Plan and RIDF etc. **Deputy Directors**: All the Deputy Directors control various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, NORAD, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning and Backward Area Sub-Plan and assist the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. **Research Officers:** All the Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers. **Assistant Research Officers**: Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level. **Statistical Assistants** Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level. **Computer:** Posted in different divisions perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers. **Program Planning Officer (PPO) :** The PPO is the incharge of the Computer Cell. This cell has been constituted for feeding the computer needs of Planning Department. **Computer operators :** Assist the PPO for feeding data of various divisions in the computers. **Superintendent Gr-II** Superintendent Grade-II is working in the Department, supervises the work of Administration Division. All the Dealing Assistants of Administration Division submit the files through Superintendent Grade-II to DDO/Deputy Director (Administration) for final Decision at the level of Head of Office and Head of Department.

		Senior Assistants/Junior Assistants: Deal with and submit cases related to establishment matters to Superintendent Grade-II for final decision at the level of higher authorities. **Clerks :** Posted in the Administration Division perform duties and function as assigned to them by the Supdt. Gr-II including the Diary dispatch work of the Department. **Personal Assistant/Sr.Scale Steno Graphers /Jr.Scale Steno Grapher:** Perform duties with Head of Department, Joint Directors/Deputy Directors ,such as Dictation/ Typing work/attend to the telephone calls. Handle the files/records of confidential or secret nature. **Steno Typists** Perform duties of typing work with District Planning Officers in Districts and at head quarters in various divisions. **Duplicating Machine Operator** To operate the Gestetner/Photostat machines of the Deptt. **Peons** They perform the duties as per duty list mentioned in office manual. **Chowkidar :** Keep watch and ward after office hours of all the office rooms of the Deptt. **Sweeper.** Normal routine duties.
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability	At the Headquarters,Adviser (Planning) exercises the powers of Head of Department. The various officers of the Department assist him in taking decisions/disposing of the normal work of the department. The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the concerned officers heading different divisions for final decision.
(iv)`	Norms set by it for the discharge of its function	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules/ policies and as per delegation of powers made by the Govt. from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instruction manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:- 1. CCS Leave rules, 1972 2. CCS and CCA Rules 3. HPFR Rules 4. H.P.FR&SR rules 5. Medical attendance Rules 6. House Building Advance rules 7. L.T.C. Rules 8. Budget manual 9. Office manual 10. Pension rules 11. GPF Rules. **Guidelines for implementation of the following**:- 12. Sectoral Decentralized Planning 13. Vikas Mein Jan Sahyog Program

		14. Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Yojna 15. Mukhya Mantri Gram Path Yojna 16. Members of Parliament Local Area Development Scheme. 17. Back Area Sub Plan. 18. Border Area Development Programme 19. Rural Infrastructure Development Fund.
(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans/Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment,Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes & Annual Administration Report.
(vii)	the particulars any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	H.P.State Planning Board has been constituted in the Department and public representatives for this Board are nominated by the Govt. Annual Plan/Five Year Plan size is approved and the progress made in implementation of various plans is reviewed by the H.P.State Planning Board meeting.
(viii)	a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	The following Boards/committees have been constituted in the department:- 1. Himachal Pradesh State Planning Board 2. State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee and Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees, the matter is under the consideration of Government 3. District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts is under consideration with Chief Minister Office.. 4. Meetings of these committees/Boards are not open for attending by public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.
(ix)	a directory of its officers and employees;	5. Adviser (Planning) 6. Joint Director 7. Deputy Directors 4 Research Officers 8. Assistant Research Officers 5 Statistical Assistants 6 Computers 7 Program Planning Officer 8 Computer operators 9 Superintendent 10 Sr.Assistants 11 Junior Assistants 12 Clerks 13 Personal Assistant 14 Private Secretary 15 Senior Scale Stenographer

		16 Steno Typists 17 Duplicating Machine Operator 18 Peons 19 Chowkidar 20 Sweeper .

(x)	the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the normal scales as granted by the Government from time to time. Pay scales of all the posts are as under: **Sr.No. Name of the Post — Pay scale** 1. Adviser(Planning) 14300-20100 2. Joint Director 12000-15500 3. Deputy Director 10025-15100 4. Research Officer 7880-11660 5. Asstt. Research Officer 6400-10640 6. Statistical Assistant 5800-9200 7. Private Secretary 7220-11660 8. P.A. 6400-10640 9. Computer 3120-5160 10. Supdt. 6400-10640 11. Sr.Assistants 5800-9200 12. Junior Assistant 4400-7000 13. Clerks 3120-5160 14. P.P.O. 6400-10640 15. Computer Operator 5000-8100 16. Sr.Scale Stenographer 5800-8100 17. Jr.Scale Stenogrpher 4400-7000 18. Steno Typist 3330-6200 19. Duplicating Machine Operator 2820-4260 20. Peons 2520-4140 21. Chowkidar One Post. 2520-4140 22. Sweeper One post. 2520-4140
(xi)	the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	As per the instructions of the Finance Department Plan budget is allocated to each agency on quarterly basis or as per actual requirement basis. The budget of Decentralised Planning Programmes and Backward Area Sub-Plan(BASP) is released to DCs/Departments for the implementation of following :- 1 Vikas Mein Jan Sehyog (VMJS) 2 Sectoral Decentralized Planning (SDP) 3. Vidhayak Kasheter Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) 4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY) 5. Backward Area Sub-Plan(BASP) The Planning Department allocate funds for these development schemes according to the guidelines as well as formula based and as far instructions framed by the H.P. State Government from time to time.

(xii)	the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There are no subsidy programmes being executed directly by the department.
(xiii)	particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable
(xiv)	details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website **http://hpplanning.nic.in**
(xv)	the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the field offices of this Department or the Headquarters Planning Department Yojna Bhawan H.P. Sectt Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on holidays.
(xvi)	the names, designations and other particulars of the Public information Officers;	Information on Proforma as below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

Particulars of the Public Information Officers of Planning Department H.P., Shimla.

AT SECRETARIAT LEVEL

Sl. No	Designation	Complete Office Address	Office Tel. No.	Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants
(a)	**Assistant Public Information Officer Section Officer(Planning)**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2880461**	**Planning Department at Secretariat level.**
(b)	**Public Information Officer (Under Dy./Joint Secretary(Plg.) to the Govt. H.P.**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2628486**	**Planning Department at Secretariat level.**
(d)	**Nodal Officer (Addl./Spl. Secretary(Plg.) .) to the Govt. H.P.**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2624183**	**Planning Department at Secretariat level.**
(c)	**Appellate Authority Principal/Secretary (Plg.) to the Govt. H.P.**	**Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2**	**2621586**	**Planning Department at Secretariat level.**

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 31-5-2008 under section 5(1) and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005).

STATE LEVEL

(a)	Joint Director (Administration)	Public Information Officer.
(b)	Deputy Director (Planning)	Assistant Public Information Officer
(c)	Head of Department	Appellate Authority

DISTRICT LEVEL

(a)	District Planning Officer(s)	Public Information Officer.

Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of "Right to Information, Act 2005".

The Chief Minister is the Minister-in-Charge and the Pr. Secretary (Planning) is Administration Secretary & the Adviser(Planning) is the Head of the Organisation set up at Govt. level.

*****